



2026:AHC-LKO:12313-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1603 सन 2026

सुमन गुप्ता

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन

विभाग, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	सचिन कुमार पांडे
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शोभित मोहन शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन कुमार पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इलाहाबाद में नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। हमने राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

श्री राज बक्स सिंह के इस कथन को दर्ज किया है कि वसूली प्रमाण पत्र, जिसके निष्पादन की मांग की गई थी, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को वापस कर दिया गया है क्योंकि वसूली नहीं की जा सकती, इस तथ्य पर याचिकाकर्ता द्वारा विवाद किया जा रहा है।

3. रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 17, 2026

-पीयूष-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।